

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 – 04/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये तहसीलदार, मुण्डवा		1घेवरचंद पुत्र बंशीलाल जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम/पोस्ट भदोरा वाया खजवाना तहसील मुण्डवा जिला नागौर। 2पुखराज पुत्र बंशीलाल जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम/पोस्ट भदोरा वाया खजवाना तहसील मुण्डवा जिला नागौर। 3मोतीलाल पुत्र बंशीलाल जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम/पोस्ट भदोरा वाया खजवाना तहसील मुण्डवा जिला नागौर।

उपस्थिति—

1— श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक 15.03.21

(1)— तहसीलदार मुण्डवा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर मौजा भदौरा के खसरा नं. 100 रकबा 2.5090 हैक्ट., खसरा नं. 101 रकबा 2.0882 हैक्ट., खसरा नं. 335 रकबा 1.2060 हैक्ट., खसरा नं. 336 रकबा 1.0684 हैक्ट., खसरा नं. 400 रकबा 1.3840 हैक्ट., खसरा नं. 632 रकबा 1.3516 हैक्ट., खसरा नं. 733 रकबा 1.9830 हैक्ट. कुल रकबा 11.5902 हैक्ट. भूमि डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुर जी छोटा वाके देह के नाम किये जाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी का रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी ने अपने रेफरेन्स के समर्थन में खतोनी ग्राम भदौरा संवत 2006 की फोटोप्रति, मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग ग्राम भदौरा की प्रति, नकल खतौनी संवत 2020-2039 भू प्रबन्ध विभाग ग्राम भदौरा, नकल खतौनी संवत 2013-2016, 2018-2021, 2024-2027, 2028-2031, 2032-2035, 2036-2039, 2060-2063, 2076, नामान्तरकरण सं. 127 ग्राम भदौरा की प्रतिया प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थीगण दिनांक 10.03.2021 को उपस्थित हुए तथा अपना जवाब प्रस्तुत कर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त भूमि मंदिर श्री ठाकुरजी छोटा वाके देह के नाम दर्ज होने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। अप्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं अप्रार्थी पुखराज, घेवरचंद एवं मोतीलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

(2)— उभयपक्ष को सुना गया। वकील प्रार्थी द्वारा बहस शुरू करते हुए रेफरेन्स के तथ्यों को दोहराया तथा बताया गया कि —

(2)(1)— नकल खतौनी बन्दोबस्त ग्राम भदौरा संवत 2006 में खसरा नं. 100, 101, 335, 336, 400, 733, 632, रकबा 15.10, 12.18, 7.09, 6.12, 8.11, 12.05, 9.06 डोली बनाम मंदिर


अपर कलक्टर, नागौर

श्री ठाकुर जी छोटा वाके देह बअेतमाम बंशीलाल वल्द हजारीमल कौम बीरामण सा.देह दर्ज है तथा कृषक के कॉलम मे खुदकाशत दर्ज है।

(2)(2)– कालान्तर मे खतौनी जमाबंदी बनाते समय उक्त भूमि बिना किसी आदेश व सक्षम अधिकारी के निर्णय के बिना ही माफी मंदिर का नाम विलोपित करते हुए संवत 2018 व संवत 2020 भू-प्रबन्ध के दौरान हाल खसरा नं. 100, 101, 335, 336, 400, 733, 632, रकबा 15.10, 12.18, 7.09, 6.12, 8.11, 12.05, 9.06 बंशीलाल वल्द हजारीमल कौम बीरामण सा.देह दर्ज कर दिया था। इसके पश्चात नामान्तरकरण सं. 127 से भूमि अंतरित होकर वर्तमान जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) स्थायी से, हाल खसरा नं. 100, 101, 335, 336, 400, 733, 632, रकबा 2.5090, 2.0882, 1.2060, 1.0684, 1.3840, 1.3516, 1.9830 हैक्ट. भूमि घेवरचंद पुत्र बंशीलाल 1/3, पुखराज पुत्र बंशीलाल 1/3, मोतीलाल पुत्र बंशीलाल 1/3 सभी ब्राह्मण निवासी भदौरा के खातेदारी मे दर्ज है। चूंकि मंदिर मूर्ति अव्यस्क है और अव्यस्क के अधिकार किसी को भी हस्तांतरित नहीं हो सकते हैं, ऐसी स्थिति मे उक्त भूमिगत खसरा नं. 100, 101, 335, 336, 400, 733, 632, रकबा 2.5090, 2.0882, 1.2060, 1.0684, 1.3840, 1.3516, 1.9830 हैक्ट. भूमि की खातेदारी हटाई जाकर वापस मंदिर श्री ठाकुर जी छोटा वाके देह के नाम किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया।

(2)(3)– मंदिर मूर्ति की जमीन का हस्तान्तरण भी प्रारंभ से ही शून्य (void ab initio) है, जिसे तथाकथित खातेदार फौत होने पर नामान्तरकरण सं. 127 से हस्तान्तरित को किसी भी प्रकार के वैध अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः उपरोक्त हस्तान्तरण अवैध होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

(2)(4)– माननीय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णयों, देवस्थान विभाग एवं राज्य सरकार के परिपत्रों में स्पष्ट निर्देश है कि यदि मंदिर मूर्ति की खातेदारी की भूमि अन्य व्यक्ति के पक्ष में दर्ज रिकार्ड की गयी है तो वह प्रभाव शून्य है। अतः उक्त भूमि को पुनः मंदिर मूर्ति के पक्ष में खातेदारी दर्ज की जानी चाहिये।

(3)– अप्रार्थी सं. 1 से 3 ने अपने जवाब दिनांक 10.03.2021 मे बताया कि प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डवा के द्वारा जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमे खसरा नं. 100, 101, 335, 336, 400, 733, 632, रकबा क्रमशः 15.10, 12.18, 7.09, 6.12, 8.11, 12.05, 9.06 डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुर जी छोटा वाके देह बअेतमाम बंशीलाल वल्द हजारीमल कौम बीरामण सा.देह दर्ज होने के तथ्य स्वीकार है। उपरोक्त भूमि मंदिर की भूमि रही है और यह भूमि वर्तमान मे अप्रार्थी के 1/3-1/3 नाम से दर्ज होने के तथ्यो से भी विरोध नहीं है, किन्तु यह गलत रूप से दर्ज हुई है। यदि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार करके उपरोक्त भूमि मंदिर श्री ठाकुरजी छोटा वाके देह के नाम दर्ज होती है तो हम अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।


(4)– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम भदौरा संवत 2006 के अनुसार खसरा नं. 100, 101, 335, 327, 400, 733, 632 भूमि डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुरजी छोटा वाके देह बअेतमाम बंशीलाल वल्द हजारीमल कौम बीरामण साकिन देह पुजारी के नाम खुदकाशत दर्ज रही है। जो खतौनी

संवत 2013-16 मे डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुरजी छोटा खुदकाशत की दर्ज है। जिसे जमाबंदी संवत 2018-21 मे भू प्रबन्ध के दौरान पुजारी बंशीलाल के नाम से बिना किसी सक्षम आदेश के खातेदारी मे दर्ज कर दिया। कालान्तर मे पुजारी बंशीलाल फौत होने पर नामान्तरकरण सं. 127 के द्वारा उसके पुत्रगण मोतीलाल, पुखराज, घेवरचंद अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज हुई है। जो मौजूदा तक रेकर्ड मे चली आ रही है। जब कि भगवान की मूर्ति शाश्वत अव्यस्क है। जिसके खातेदारी अधिकार किसी अन्य को कानूनी रूप से प्रदान नहीं किये जा सकते है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को तथाकथित खातेदार अथवा हस्तान्तरित को किसी भी प्रकार के वैध अधिकार नहीं होने से ग्राम भदौरा का नामान्तरकरण सं. 127 खारिज किया जाकर भूमि पुनः डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुरजी छोटा वाके देह के नाम दर्ज की जानी चाहिये।

इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मौजा भदौरा के खसरा नं. 100, 101, 335, 336, 400, 632, 733 कुल रकबा 71.12 बीघा भूमि डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुरजी छोटा वाके देह बअेतमाम बंशीलाल वल्द हजारीमल कौम बीरामण साकिन देह पुजारी के नाम जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम भदौरा के संवत 2006 से 2018 में दर्ज रही है। जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है। जो उक्त जमाबंदियों से सुस्पष्ट है। मंदिर मूर्ति की जमीन में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः मंदिर मूर्ति की भूमि में खातेदारी अधिकार दिये गये है। जो विधिक दृष्टि से शून्य व प्रभावहीन है।

(5)- उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मौजा भदौरा संवत 2006 मे खसरा नं. 100, 101, 335, 336, 400, 733, 632, रकबा 71.12 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 1 से 3 के नाम खातेदारी/नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर उक्त भूमि के संबंध में जमाबंदी (खतौनी) संवत 2018-21 से आदिनांक तक हुए इन्द्राजात को निरस्त करते हुए मौजा भदौरा के खसरा नं. 100 रकबा 2.5090 हैक्ट., खसरा नं. 101 रकबा 2.0882 हैक्ट., खसरा नं. 335 रकबा 1.2060 हैक्ट., खसरा नं. 336 रकबा 1.0684 हैक्ट., खसरा नं. 400 रकबा 1.3840 हैक्ट., खसरा नं. 632 रकबा 1.3516 हैक्ट., खसरा नं. 733 रकबा 1.9830 हैक्ट. कुल रकबा 11.5902 हैक्ट. भूमि पूर्ववत डोली बनाम मंदिर श्री ठाकुर जी छोटा वाके देह के नाम दर्ज करवाने हेतु मूल प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(6)- आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर